

आवंटनादेश

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना।

पटना, दिनांक:- 14-12-18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3387 दिनांक 14.05.18 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त ₹ 3000/-प्रति बाल श्रमिक की दर से कुल 20 बाल श्रमिकों हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की संख्या	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग	अभ्युक्ति
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से ₹ 2300/- राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्त के समय दवा हेतु- ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्त के समय भोजन/नास्ता हेतु ₹ 100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	उप श्रमायुक्त, पटना	20	56000	2000	2000	60000	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-3869 एवं 3810 क्रमशः दि.-6.11.18 एवं 29.10.18 के आलोक में।

कुल आवंटित राशि ₹ 60,000 (₹ साठ हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी। आवंटित राशि से उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांशित किया जाय जिन्हें पूर्व में यह राशि प्रदान नहीं की गयी है।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

14/12/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0-

120

पटना, दिनांक

14-12-18

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/12/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0-

120

पटना, दिनांक

14-12-18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै०स०प्रे०सं०-508(श्रम पक्ष) दिनांक-04.12.18 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

14/12/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।